न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 06 सन 2019

अनवान :–

1. कासीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर तहसील नोहर।

प्राथी

बनाम

1. ग्राम पंचायत गोरखाना जरिये संरपच ग्राम पंचायत गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. वन विभाग जरिये रेंजर वन विभाग नोहर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत पूर्व स्थिति बहाल करने

उपस्थित :– श्री हवासिह अधिवक्ता प्रार्थी / सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 28/02/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की गैरसायल संख्या 1 ने एक वाद ग्राम पंचायत गोरखाना बना लकडनाथ इस आश्य का पेश किया कि ग्राम गोरखाना के साबिका खसरा न0 124 की 1905 बीधा 05 बीधा में से 600 बीधा भूमि जोहड पायतन की भूमि है जो ग्रामवासियों के उपयोग में आती है जिसे पायतन दर्ज की जावे जिस पर न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.09.1977 को हाल खसरा न0 424 ,358 ,389 ,423मी. 373मी ,388 ,384 ,387 ,373मी, 420मी ,425मी ,365, 420मी, 422 ,363 ,385 ,364 ,428 ,433मी ,434मी, 372मी ,374 ,427 ,370मी, 385मी ,279मी ,298 ,299, 376,383,426,435मी की कुल 570 बीधा 07 बिश्वा भूमि जोहड पायतन घोषित कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 08.09.1977 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.01.1979 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 31.01.1979 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिविजन पेश की गई जो दिनांक 08.07.1981 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 08.19.1977 व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 31.01.1979 को निरस्त कर दिया गया था।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 08.19.1977 की पालना में ग्राम गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा भूमि गैर0मु0 आबादी का जोहड पायतन के नाम इन्तकाल संख्या 81 स्वीकृत कर दिया गया था।

उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 08.09.1977 व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 31.01.1979 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.1981 से निरस्त किया जा चुका है इसलिये उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 08.09.01977 की पालना में दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 81 स्वतः ही निरस्त हो चुका है इसलिये नामान्तकरण संख्या 81 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा भूमि कभी भी पायतन नही रही है ना ही पायतन के रूप मे उपयोग किया गया है ना ही वन विभाग के द्वारा कभी उपयोग किया गया है उक्त भूमि हमेशा आबादी के रूप में उपयोग होती रही है जिसे पर आज भी मौके पर मकानात बने हुए है जिसमे परिवार सहित आबाद है तथा आबादी में शामिल है आबादी भूमि मे शामिल होने के कारण ग्राम पंचायत गोरखाना के द्वारा आबाद लोगे के निवास के आवासीय पटटे भी जारी किये गये है एव राजकीय विधालय , अटल सेवा केन्द्र भी इसी भूमि मे बने हुए है तथा ग्राम पंचायत का वार्ड संख्या 7 ,8 के रूप में आबादी बसी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल गांव गोरखाना का सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज सेवी कार्य में रूची रखता है विवादित भूमि पर पुराने मकान बने होने के कारण व आबादी भूमि में होने के कारण रिहायशी पटटे जारी किये होने के कारण सामाजिक हित में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश करे निवेदन है कि ग्राम गोरखाना के इन्तकाल संख्या 81 को निरस्त कर इन्तकाल संख्या 81 से पूर्व की स्थिति ग्राम गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा (3.7430हैक) गैर मु0 आबादी राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 की और से संरपच ग्राम पंचायत गोरखाना एव गैरसायल संख्या 2 की और वन विभाग का प्रतिनिधि उपस्थित एवं गैरसायल संख्या 3 की और से पेरोकार राज उपस्थित निवेदन किया गयां की राजस्व विभाग फोरमल पक्षकार है राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे गेरसायल संख्या 1 ,2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाब निम्नप्रकार से पेश किया गया ।

गैरसायल संख्या 1 ने जबाब पेश किया की रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा भूमि कभी भी पायतन नही रही है ना ही वन विभाग के उपयोग में आ रही है मौके पर आबादी भूमि के रूप में काम आ रही है एवं पूर्व रिकार्ड में भी आबादी भूमि रही है मौके पर सेकडों लोगो के रिहायशी मकान बने हुए है एवं आबाद है तथा इसी भूमि पर सरकारी संस्थाए भी बनी हुई है इसलिये उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में आबादी के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

गैरसायल संख्या 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 342/347 की कुल 72.8790हैक भूमि वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 08.07.1981 में वन विभाग पक्षकार नही है इसलिये वन विभाग पर लागू नही होता है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना 21 वर्ष की अवधि के बाद किया गया है सायल न्यायालय में सदभावी नही आया है उसका 40 वर्ष वाद प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर है स्वतः खारिज योग्य है खसरा न0 298 का रकबा वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकों सायल किसी कदर हटा पाने का अधिकारी नही है वन विभाग व जोहड पायतन की भूमि किसी कदर ना तो रिकार्ड में दुरूस्त की जा सकती है और ना ही किसी को नियमन व आवटन किया जा सकता है वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने को कोई विधिक अधिकार नही है राजस्व मण्डल अजमेर का किसी कदर कोई लाभ नही उठा सकता है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.1977 को रोही मोजा गोरखाना के हाल खसरा न0 298 की 14.16 बीधा भूमि को अन्य खसरों की भूमि के साथ जोहड पायतन दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 81 दर्ज किया गया था उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 08.09.1977 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.01.1979 को निर्णय पारित की जाकर अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.07.1981 को निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 08.09.1977 एव राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 31.01.1979 को निरस्त कर दिया गया था।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अधिनस्त दोनो न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर दिये गये थे जिसके कारण उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 81 स्वतः निरस्त हो गया प्रार्थी नामान्तकरण संख्या 81 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा भूमि कभी भी पायतन नही रही है ना ही पायतन के रूप में उपयोग किया गया है ना ही वन विभाग के द्वारा कभी उपयोग किया गया है उक्त भूमि हमेशा से आबादी के रूप में उपयोग होती रही है जिसे पर आज भी मौके पर मकानात बने हुए है जिसमें परिवार सहित आबाद है तथा आबादी में शामिल है आबादी भूमि में शामिल होने के कारण ग्राम पचायत गोरखाना के द्वारा आबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लोगे के निवास के आवासीय पटटे भी जारी किये गये है एव राजकीय विधालय , अटल सेवा केन्द्र भी इसी भूमि मे बने हुए है तथा ग्राम पंचायत का वार्ड संख्या 7 ,8 के रूप में आबादी बसी हुई है।

सायल गांव गोरखाना का सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज सेवी कार्य में रूची रखता है विवादित भूमि पर पुराने मकान बने होने के कारण व आबादी भूमि में होने के कारण रिहायशी पटटे जारी किये होने के कारण सामाजिक हित में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश करे निवेदन है कि ग्राम गोरखाना के इन्तकाल संख्या 81 को निरस्त कर इन्तकाल संख्या 81 से पूर्व की स्थिति ग्राम गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा (3.7430हैक) गैर मु0 आबादी राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 के प्रतिनिधि ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा भूमि कभी भी पायतन नही रही है ना ही वन विभाग के उपयोग में आ रही है मौके पर आबादी भूमि के रूप में काम आ रही है एवं पूर्व रिकार्ड में भी आबादी भूमि रही है मौके पर सेकडों लोगो के रिहायशी मकान बने हुए है एवं आबाद है तथा इसी भूमि पर सरकारी संस्थाए भी बनी हुई है इसलिये उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में आबादी के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

गैरसायल संख्या 2 के प्रतिनिधि ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 342/347 की कुल 72.8790हैक भूमि वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 08.07.1981 में वन विभाग पक्षकार नही है इसलिये वन विभाग पर लागू नही होता है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना 21 वर्ष की अवधि के बाद किया गया है सायल न्यायालय में सदभावी नही आया है उसका 40 वर्ष वाद प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर है स्वतः खारिज योग्य है खसरा न0 298 का रकबा वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकों सायल किसी कदर हटा पाने का अधिकारी नही है वन विभाग व जोहड पायतन की भूमि किसी कदर ना तो रिकार्ड में दुरूस्त की जा सकती है और ना ही किसी को नियमन व आवटन किया जा सकता है वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने को कोई विधिक अधिकार नही है राजस्व मण्डल अजमेर का किसी कदर कोई लाभ नही उठा सकता है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 3 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की राजस्व विभाग फोरमल पक्षकार है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

ग्राम पंचायत गोरखाना के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में एक वाद अनवानी ग्राम पंचायत गोरखाना बनाम लकडनाथ इस आश्य का पेश किया गया की ग्राम गोरखाना के साबिका खसरा न0 124 की 19.05.05 बीधा भूमि जो लकडनाथ के नाम है में से 600 बीधा भूमि पायतन के उपयोग में आ रही है इसलिये इसे जोहड पायतन दर्ज किया जावे उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा दिनांक 08.09.1977 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मौजा गोरखाना की 570 बीधा 07 बिश्वा भूमि को जोहड पायतन दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार नोहर ने नामान्तकरण संख्या 81 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भूमि जोहड पायतन के नाम दर्ज कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 08.09.1977 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.01.1979 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 08.09.1977 को यथावत रखा गया।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 31.01.1979 के निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.07.1981 को निर्णय पारित किया उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 08.19.1977 एव राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 31.01.1979 को निरस्त कर दिया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.07.1981 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर एव राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का निर्णय होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 08.09.1977 की पालना में दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 81 स्वत ही निरस्त हो गया ।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि ग्राम पंचायत गोरखाना के निवेदन पर ही उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा प्रश्नगत रकबा को जोहड पायतन दर्ज किया गया था अब ग्राम पंचायत स्वय ही प्रश्नगत/वाद भूमि जो पूर्व में आबादी दर्ज थी तथा वर्तमान में वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को पूनः गैर0मु0 आबादी में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि वर्तमान में वाद भूमि वन विभाग के उपयोग में वर्षो से नही आ रही है मौके पर आबादी बसी हुई है जिसमें मकान बना कर परिवार सहित लोग निवास कर रहे है एव ग्राम पंचायत गोरखाना के वार्ड संख्या 7 ,8 के रूप में आबादी में स्थित है।

वन विभाग के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे वाद भूमि का उपयोग वन विभाग के द्वारा लिया जा रहा हो मात्र कथन किया है कि राजस्व मण्डल में पक्षकार नही था जबकि वन विभाग का दायित्व था कि यदि प्रश्नगत भूमि मे वन विभाग का हक निहित है तो वह राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता फिर भी वन विभाग अपने हकों की सुरक्षा के लिये अब भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है।

राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 08.09.1977 की पालना में जोहड पायतन दर्ज करने के आदेश हुए जो बाद मे वन विभाग के नाम दर्ज हुई थी को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.1981 के द्वारा खारिज कर दिया गया है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 08.09.1977 की पालना में राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 81 जोहड पायतन/वन विभाग के नाम कर दिया गया था

उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय निरस्त होने के कारण नामान्तकरण संख्या 81 भी स्वत ही निरस्त हो चुका है प्राथी नामान्तकरण संख्या 81 भी स्वत ही निरस्त हो चुका है प्रार्थी नामान्तकरण संख्या 81 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी अधिकारी भी है क्योकि जिस आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था वह आदेश की निरस्त किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 08.09.1977 जिस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपने निर्णय दिनांक 08.07.1981 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 08.09.1977 की पालना में दर्ज किया नामान्तकरण संख्या 81 भी निर्णय निरस्त होने के कारण स्वत ही निरस्त हो चुका है इसलिये प्रार्थी वाद भूमि की हद तक नामान्तकरण संख्या 81 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना का नामान्तकरण संख्य 81 में अंकित रोही मौजा गोरखाना के खसरा न0 298 की 14.16 बीधा अर्थात 3.7430हैक भूमि की स्थिति नामान्तकरण संख्या 81 से पूर्व की बहाल की जाती है अर्थात गेर0मु0 आबादी दर्ज की जाती है शेष अंकन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन किया जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:01:54 IST
Reason: SelfAttested